रेरा की सख्ती से बिल्डर ने ग्राहक को लौटाए 15 लाख

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार की सख्ती से पीड़ित घर खरीदार को बिल्डर ने 15 लाख रुपये लौटा दिए हैं, जबकि शेष आठ लाख रुपये केस की अगली सुनवाई की तारीख से पहले लौटने का वादा किया है। यह मामला बिल्डर शुभगामी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसके विरुद्ध पीड़ित घर खरीदार रणजीत कुमार पांडेय ने रेरा में वाद दायर किया था। उन्होंने बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए 23 लाख रुपये दिए थे। जिसकी तय शर्तों के अनुसार बिल्डर को अक्टूबर 2020 तक फ्लैट उपलब्ध करा देना था। जब बिल्डर समय पर फ्लैट देने में विफल रहा तथा घर खरीदार के पैसे भी नहीं लौटाए तो रणजीत पांडेय ने रेरा में वाद दायर किया।